छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन,रायपुर

क्रमांक एफ/649/2006/1/6   रायपुर दिनांक 12 अप्रैल, 2006

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़।

विषयः—सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपील के संबंध में मार्गदर्शन देने विषयक।

1/ छत्तीसगढ़ राज्य में सूचना का अधिकार कानून 15 जून 2005 से अधिनियम का रूप ले चुका है। इस अधिनियम की धारा 18 में सूचना आयुक्त के समक्ष अपील करने से संबंधित प्रावधान है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपील के प्रकरणो में अधिवक्ताओं की नियुक्ति,पावर ऑफ एटर्नी दिया जायेगा या नही तथा शासकीय अधिकारियों के विरूद्ध अपील होने पर क्या शासन शासकीय खर्च पर अधिवक्ताओं की नियुक्ति करेगी ? ये विषय शासन के विचाराधीन थे। इस विषय में निम्नानुसार निर्णय लिये जा रहे हैं ।

2/ यह कार्यवाही पूर्णतः अर्धन्यायिक प्रकृति की कार्यवाही है,जो अधिक न्यायिक स्वरूप की है। जिसमें दण्ड के लिए भी प्रावधान हैं। अतएव प्रतिनिधित्व एवं बचाव का स्पष्ट अवसर आवश्यक है। ऐसी स्थिति में मुख्तयार अथवा अधिवक्ता की नियुक्ति से रोका नहीं जा सकता है।

3/ अतः इस संबंध में निर्णय लिया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपील के प्रकरणो में अधिवक्ताओं की नियुक्ति,पावरऑफ एटर्नी दिया जा सकेगा। जहाँ तक शासकीय अधिकारियों के विरूद्ध अपील पर व्यय का प्रश्न है, शासकीय आदेश के संबंध में हुए अपील पर व्यय का भुगतान शासन द्वारा किया जा सकेगा । परंतु दंड संबंधित अधिकारी को ही भुगतना होगा।

(नंद कुमार)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग